# अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याणर्थ प्रकोष्ठ
## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः अनु.जाति/जनजाति/प्रकोष्ठ/2014/552 दिनांक 2/1/14

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,
छात्रवृति सम्बद्ध समस्त निजी महाविद्यालय,
ग्वालियर

विषय – महाविद्यालयों का भौतिक सत्यापन तथा छात्रवृति आवेदन पत्रों पर प्राचार्य के ही हस्ताक्षर कराने संबंधी।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक अनु. जाति/जनजाति/प्रकोष्ठ/2013/454 दिनांक 31.08.2013 के द्वारा अशासकीय महाविद्यालय प्राचार्यों को सूचित किया गया था कि वे सत्र 2013–14 की छात्रवृति हेतु जांच समिति से सम्पर्क करें इसके उपरान्त भी आज दिनांक तक कई महाविद्यालयों ने समिति से सम्पर्क नहीं किया है जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को सत्र 2013–14 की छात्रवृति स्वीकृति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से महाविद्यालयों का समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही छात्रवृति स्वीकृत की जा रही है।

अतः महाविद्यालय संचालक शीघ्रातिशीघ्र सम्मिति के सदस्यों से सम्पर्क कर, छात्रवृति हेतु जांच करावें जिससे कि छात्रों को छात्रवृति स्वीकृत की जा सके।

2. छात्रवृति आवेदन पत्र मय संबंधित दस्तावेजों पर महाविद्यालय प्राचार्य के ही हस्ताक्षर करावें। प्राचार्य की अनुपस्थिति में प्राचार्य द्वारा अधिकृत प्राचार्य तथा संस्था संचालक दोंनों के हस्ताक्षर के उपरान्त ही छात्रवृति आवेदन पत्र इस नोडल केन्द्र की ओर प्रेषित करें।

सहायक कुलसचिव
अनु.जाति/जनजाति प्रकोष्ठ

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. जीवाजी विश्वविद्यालय (एस.सी./एस.टी.सेल) के वेबसाइड पर अपलोड करने बाबत्।

सहायक कुलसचिव
अनु.जाति/जनजाति प्रकोष्ठ